



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-10-कार्य/चौदह-पाकालि/2022-40-के/2021

दिनांक: 28 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण पूंजीगत कार्यों पर अधिष्ठान व्यय भारित किये जाने तथा विद्युत सम्बन्धी, डिपॉजिट कार्य पर सुपरविजन चार्ज भारित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के कार्यान्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-497/सी०ए०ओ०/सी०-1/155विधि-85/86 दिनांक 03.06.1996 के अधिक्रमण में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-285/पी०सी०एल०/सी०ए०-पी०एस०/पूँजीकरण दिनांक 06.07.2017 के सम्बन्ध में एतद्वारा निम्नवत् आदेशित किया जाता है :-

1. वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण पूंजीगत कार्यों एवं अन्य पूंजीगत कार्यों पर अधिष्ठान व्यय का भारण एवं विद्युत सम्बन्धी डिपॉजिट कार्यों पर सुपरविजन चार्ज का भारण निम्नवत् तालिका में उल्लिखित प्रतिशत की दर से किया जायेगा :-

क्रम सं०	मद का नाम	कार्य पर भारित किये जाने की दर (प्रतिशत में)
1	वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पर अधिष्ठान व्यय	13.5 प्रतिशत
2	अन्य पूंजीगत कार्यों पर अधिष्ठान व्यय	9.5 प्रतिशत
3	निक्षेप/जमा कार्यों पर सुपरविजन शुल्क	15 प्रतिशत

2. उक्त दरें कारपोरेशन के वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं आगे के वर्षों के लिये, जब तक पुनरीक्षित नहीं किया जाता अथवा अन्य कोई संशोधन नहीं किया जाता है, लागू रहेंगी।
3. कारपोरेशन के लेखों में उपरोक्त अधिष्ठान व्यय एवं सुपरविजन शुल्क के भारण से सम्बन्धित लेखांकन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के स्तर से निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया/समय-समय पर पुनरीक्षित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त आदेश के निर्गमन के फलस्वरूप भी एन०एच०ए०आई०, सरकारी संस्थाओं एवं समरूप सरकारी संस्थाओं तथा यू०पी०एम०आर०सी० द्वारा सम्पादित कराये जा रहे लाईनों/उपकरणों के शिपिंग के कार्यों तथा उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित कराये जा रहे लाइनों एवं उपकरणों की शिपिंग के कार्यों पर सुपरविजन शुल्क 05(पाँच) प्रतिशत निर्धारित किये जाने हेतु निर्गत क्रमशः कार्यालय ज्ञाप सं०-650-कार्य-चौदह/पाकालि/2018-3केबी-95/2008 दिनांक 28.02.2018, 3337-कार्य-चौदह/पाकालि/2018-138-के/2011 दिनांक 13.11.2018 एवं 560-कार्य-चौदह/पाकालि/2018-138-के/2011 दिनांक 31.03.2020, एवं सं०-576-कार्य-चौदह/पाकालि/2018-138-के/2011 दिनांक 30.03.2020 यथावत् लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

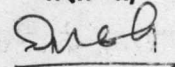
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

संख्या-10(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
- 4 निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वित०/वाणि०/कार०प्ला०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5 निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
- 6 अपर सचिव-I,II,III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7 अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 8 महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/लेखा सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 9 महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 10 समस्त मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
- 11 समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/ केस्को-कानपुर।
- 12 समस्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
- 13 समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 14 अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 15 कट फाइल।

आज्ञा से,



(सुरेन्द्र प्रताप सिंह)

अपर सचिव-प्रथम